

FORM NO.111

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कौशल्या देवी बनाम सुशीला बगै0

किरम मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:-77 /2019

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तालीम में जारी हुये
4.10.19	<p>प्रार्थीया की ओर से श्री विनोद कुमार सैनी एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 31.10.2019 को पेश हो।</p>	
31-10-19	<p>वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को उठाने नहीं पलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रु कर खारील किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीया को सुना जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रु किया जाकर खारील किये जाने की स्वीकृति दे दी। पत्रावली केसल सुमार चक्र वाद वकील दाखिल हुनर वे।</p>	<p>श्री विनोद कुमार सैनी R.A.S. उपरान्त अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

